राइट ऑफ वे पॉलिसी के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों के निस्तारण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09 मार्च, 2022 को पूर्वान्ह 10:30 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति : संलग्नानुसार

प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त विषय में दिनांक 28 फरवरी 2022 को सम्पन्न विगत बैठक में दिये गये निर्देशों पर अनुपालन आख्या, Digital Infrastructure Providers Association (DIPA) तथा अन्य विभागों के साथ की गई बैठकों एवं अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना इत्यादि पर एक प्रस्तुतिकरण दिया गया।

2— मुख्य सचिव महोदय द्वारा देश में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की वृहद स्तर पर आवश्यकता को रेखांकित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी विगत दिवस डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए "डिजिटल सड़क" का निर्माण तीव्र गति से किये जाने पर बल दिया गया है। इसके माध्यम से ही ई—कॉमर्स, ई—हेल्थ इत्यादि सभी सुविधायें जन सामान्य को उपलब्ध हो सकेंगी। अतः प्रदेश में मोबाइल टावर्स की स्थापना हेतु वर्तमान नियमों/प्राविधानों में आमूल चूल परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। प्रदेश में भी सभी विभागों द्वारा अन्य राज्यों की भांति प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

3— बैठक के विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई तथा निम्नवत् निर्णय लिये गये:—

(1) प्रशासकीय विभाग द्वारा राइट ऑफ वे पोर्टल के सॉफ्टवेयर/आवेदन प्रकिया में प्रस्तावित निम्न संशोधनों को शीघ्रता से पूर्ण करा लिया जाये:—

(i) आवेदन पत्रों को जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा गलत विभाग को प्रेषित किये जाने पर उनके प्रति प्रेषण/वापस लिये जाने का प्राविधान।

(ii) विभिन्न स्तरों (राज्य/जनपद/विभाग) के नोडल अधिकारियों को उपलब्ध MISरिपोर्टस के फार्मेट में सुधार।

(iii) आवेदन पत्र में एड्रेस फील्ड में सुधार, कतिपय फील्डस को भरना अनिवार्य किया जाना, गूगल लोकेशन कैप्चर करने का प्राविधान, ऑटो चेक की व्यवस्था।

(iv) बैठक में लिये गये निर्णयानुसार मात्र चार विभागों के अधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुमति निर्गत करने की व्यवस्था।

(v) वन टाइम फीस तथा वार्षिक किराया जमा कराने हेतु निर्णयानुसार संबंधित खातों की मैपिंग।

(कार्यवाही:—सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

(2) नेशनल बिल्डिंग कोड(NBC) के अनुसार 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवनों पर ही टावर की स्थापना हेतु अग्निशमन (Fire) विभाग की अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने की अनिवार्यता हो। तद्नुसार गृह/अग्निशमन विभाग के स्तर से निर्देश जारी कर दिये जाये। **(कार्यवाहीः–गृह/अग्निशमन विभाग)**

(3) मोबाइल टावर्स की स्थापना के प्रयोग में आने वाले डी0जी0 सेट्स में प्रदूषण नियंत्रण की अनापत्ति की आवश्यकता को लेकर वर्तमान में भ्रम की स्थिति है। यह देखते हुए कि सामान्यतः 50केवीए से अधिक क्षमता के जनरेटर मोबाइल टावर्स में नहीं लगाये जाते हैं। पर्यावरण विभाग/उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 50 केवीए क्षमता के एकल (stand alone) डीजल जनरेटिंग सेट्स को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति की अनिवार्यता से मुक्त करने के संबंध में स्पष्ट आदेश उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्तर से जारी कर दिये जाये।

(कार्यवाहीः–पर्यावरण एवं वन विभाग/उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

4– दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नियमावली दिनांक 15 नवम्बर, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भूमि पर टावर निर्माण के लिए आवेदक को स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा टावर के टेक्नीकल डिजाइन तथा स्ट्रक्चरल सेफ्टी के संबंध में एक प्रमाण पत्र अपने आवेदन के साथ दाखिल करना अनिवार्य किया गया है। यदि टावर का निर्माण किसी भवन के ऊपर किया जाता है तो टावर के साथ–साथ बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के संबंध में भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के प्रमाण पत्र की व्यवस्था दी गयी है। वर्तमान में आर्किटेक्ट का पंजीकरण काउंसिल आफ आर्कीटेक्चर में किये जाने की व्यवस्था है परन्तु स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में स्वीकर्ता अधिकारी के स्तर से इस आशय की पुष्टि करने में कठिनाई आ रही है कि प्रदत्त प्रमाण पत्र अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा ही दिया गया है अथवा नहीं। कतिपय अन्य प्रदेशों में स्ट्रक्चरलइंजीनियर तथा आर्कीटेक्ट के पंजीकरण की व्यवस्था संबंधित प्राधिकरणों/निगमों द्वारा अपने स्तर पर पोर्टल के माध्यम से की गयी है तथा पंजीकृत आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के नाम पोर्टल पर ही प्रदर्शित किये गये हैं। उत्तर प्रदेश में भवनों के नक्शे आवास विकास प्राधिकरणों में प्रस्तुत करने के लिए आर्किटेक्ट के पंजीकरण की व्यवस्था आवास विकास परिषद के स्तर पर की गयी है परन्तु स्ट्रक्चरलइंजीनियर्स के पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः आवास विभाग/आवास विकास परिषद के स्तर पर स्ट्रक्चरलइंजीनियर्स के पंजीकरण की व्यवस्था भी करा ली जाए। परन्तु जब तक यह व्यवस्था नहीं हो पाती है तब तक आवेदन पत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र भी आवेदक से प्राप्त कर लिया जाए कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्ट्रक्चरलसेफ्टी प्रमाण पत्र अधिकृत इंजीनियर के द्वारा प्रदत्त है, प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है (यदि ऐसा है तो) भी टावर सहित सुरक्षित है। इस व्यवस्था के उपरान्त स्वीकर्ता अधिकारी को इस आशय की पृथक से पुष्टि कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी

कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रमाण पत्र अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा जारी किया गया है अथवा नहीं।

(कार्यवाहीः—आवास विभाग/आवास विकास परिषद/सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

5—आवास विभाग की भवन नियमावली के अध्याय **12.1 अनुमन्यता** के प्राविधानों को निम्नवत् संशोधित करा लिया जायेः—

(i) "सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण की अनुज्ञा सामान्यतः पार्क एवं खुले स्थल, ग्रीन वर्ज, कृषि भू—उपयोग एवं समरूप प्रकृति के भू—उपयोगों के अन्तर्गत ही प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य उपयोगों यथा आवासीय, व्यवसायिक, कार्यालय आदि में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति से देय होगी" **को संशोधित करते हुए बोर्ड के स्तर से अनुमति के स्थान पर यह अनुमति उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा दिये जाने का प्राविधान करा लिया जाये।**

(ii) "शिक्षण एवं चिकित्सा संस्थानों में टावर के निर्माण की अनुज्ञा देय नहीं होगी" **को संशोधित कर यह अनुज्ञा अनुमन्य किए जाने का संशोधन करा लिया जाये।**

(iii) "अनधिकृत रूप से निर्मित भवन पर टावर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा" **को यथावत् रखा जाये।**

(iv) "प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सम्भावित हानि को न्यूनतम करने के दृष्टिगत टावर का निर्माण संकरी गलियों में अनुमन्य नहीं होगा", में सँकरी गली को**6 मीटर चौड़ी पारिभाषित कर दिया जाये।**

आवास विभाग के अतिरिक्त नगर विकास विभाग के अधीन नगरीय निकायों तथा औद्योगिक विकास विभाग के अधीन औद्योगिक प्राधिकरणों की सुसंगत नियमावलियों में भी तद्नुसार संशोधन करा लिये जाएं।

(कार्यवाहीः—आवास विकास विभाग/नगर विकास विभाग/औद्योगिक विकास विभाग)

6— उ0प्र0 राइट ऑफ वे पोर्टल पर नये टावर की स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त पूर्व से स्थापित मोबाइल टावर्स के विनियमितीकरण(Regularization) के लिए भी आवेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। परन्तु कई प्राधिकरणों/निगमों/इकाइयों द्वारा यह कह कर आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं कि नियमों के अन्तर्गत विनियमितीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। कतिपय मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रचलित नियमों में बिना अनुमति के भवन निर्माण के विनियमितीकरण/कम्पाउंडिंग की तो व्यवस्था है परन्तु बिना अनुमति के टावर निर्माण के विनियमितीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः यह निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित विभागों/प्राधिकरणों/निकायों द्वारा उनके क्षेत्र में पहले से स्थापित टावर्स के विनियमितीकरण(Regularization) हेतु कम्पाउण्डिंग की

व्यवस्था उनके विभाग में प्रचलित नियमों में आवश्यक संशोधन कर करा ली जाये।

(कार्यवाहीः—आवास विकास विभाग/नगर विकास विभाग/औद्योगिक विकास विभाग)

7— अनधिकृत (un-authorized)/अस्वीकृत कालोनियों में मोबाईल टावर की स्थापना केवल सार्वजनिक स्थल/पार्क इत्यादि में अनुमन्य हो।

8— राइट ऑफ वे अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्नलिखित 04 विभागों को अधिकृत किया जायेः—

(i) आवास विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में अनुमतियां इन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के स्तर से जारी न होकर आवास विभाग के अधीन संबंधित प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्रके स्तर से प्रदान की जायेंगी।

(ii) आवास विभाग के अधीनस्थ विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र से आच्छादित स्थानीय निकायों को छोड़करशेष नगर पालिका/नगर पंचायतों के अधीनस्थ क्षेत्रों में अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकायद्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा इन क्षेत्रों में वार्षिक किराये/शुल्क की धनराशि सम्बन्धित नगर पालिका/नगर पंचायतों के खातों में प्राप्त होगी।

(iii) औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्रों में उनके द्वारा

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी द्वारा

जिन शासकीय विभागों/संस्थाओं की भूमि/भवन पर टावर की स्थापना की जानी होगी, उनकी सहमति स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए।

(कार्यवाहीः—सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

9— वर्तमान में अवस्थापना विकास कोष में बजट के माध्यम से अथवा किसी सेस के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अतः यह उचित पाया गया कि राइट ऑफ वे अनुमतियों/आवेदनों के सापेक्ष निवेश मित्र पोर्टल/आर0ओ0डब्ल्यू0 पोर्टल पर प्राप्त एक बारगी फीस रु0 10,000/— राज्य सरकार के अवस्थापना विकास कोष में जमा की जायेगी। यदि इस मद में पूर्व में प्राप्त धनराशि उपलब्ध है तो उसे भी अवस्थापना विकास कोष में स्थानान्तरित कर दिया जाये।

(कार्यवाहीः—सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

10— टावर की स्थापना यदि निजी भूमि अथवा भवन पर की जाती है तो उस दशा में उसका वार्षिक किराया/शुल्क सम्बन्धित भूमि/भवन स्वामी को देय होगा।

शासकीय विभाग/संस्था की भूमि/भवन होने की दशा में वार्षिक किराया/शुल्क सम्बन्धित विभाग/संस्था के खाते में जमा किये जाने की व्यवस्था होगी। इस हेतु सम्बन्धित शासकीय विभाग/संस्था द्वारा पोर्टल पर

अपने विभाग की भूमि/भवन के किराये का निर्धारण करते हुए तथा वांछित धनराशि जमा कराते हुए अपनी सहमति पोर्टल के माध्यम से ही सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिनके द्वारा अनापत्ति (NOC) निर्गत की जायेगी।

सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदेश में उनकी भूमि/भवन पर मोबाईल टावर्स की स्थापना हेतु सामान्य परिस्थितियों में सहमति प्रदान की जायेगी। केवल विशेष परिस्थतियों/कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए असहमति की जाये।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जिला पंचायत की भूमि/भवन पर मोबाइल टावर की स्थापना प्रस्तावित है, के सम्बन्ध में वार्षिक किराये की धनराशि जिला पंचायत की जिला निधि में जमा करनी होगी।यदि ग्राम पंचायत की भूमि/भवन पर मोबाइल टावर की स्थापना प्रस्तावित है तो वार्षिक किराये की धनराशि समेकित ग्रामसभा निधि में जमा करायी जायेगी। राजस्व संहिता/नियमावली के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार इस आय की 75 प्रतिशत धनराशि संबंधित ग्राम सभा निधि में हस्तान्तरित होनी चाहिए अतः इसके लिए पोर्टल से एमआईएस रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए जिससे वह समय–समय पर धनराशि संबंधित ग्रामसभा के खाते में हस्तान्तरित कर सके।

आवास विकास विभाग/नगर विकास विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा राजस्व विभाग तद्नुसार खातों का विवरण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उपलब्ध करा दें जिससे तद्नुसार पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था की जा सके।

(कार्यवाहीः–आवास विकास विभाग/नगर विकास विभाग/औद्योगिक विकास विभाग/राजस्व विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

11– यह पाया गया कि शासकीय भूमि/भवन पर मोबाईल टावर की स्थापना हेतु विभिन्न विभागों/इकाइयों द्वारा वार्षिक किराया निर्धारण के लिए अलग–अलग मानक लागू किये जा रहे हैं तथा दरों के निर्धारण में कोई एकरूपता नहीं है। अतः इस विसंगति को दूर करने के लिए तथा एकरूपता हेतु नीति निर्धारण के लिए अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया गया :–

(1) अपर मुख्य सचिव(नगर विकास) – अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव (आवास)
(3) प्रमुख सचिव (सिंचाई)
(4) सचिव (नगर विकास)
(5) सचिव (वित्त)

उक्त समिति एक सप्ताह के भीतर विभिन्न विभागों/प्राधिकरणों/नगरीय निकायों/पंचायतों के भवन/भूमि पर मोबाइल टावर निर्माण हेतु वार्षिक किराया/शुल्क की दरोंको एकरूपता के आधार पर निर्धारित करने हेतु अपनी संस्तुतियाँ प्रदान करेगी। यह समिति इस बिन्दु पर भी विचार करेगी कि विभिन्न शासकीय विभागों की भूमि के संबंध में प्रस्तावित वार्षिक किराये की धनराशि को प्रत्येक विभाग के खाते में जमा कराने के बजाय किसी एक शासकीय मद में प्रकिया के सरलीकरण हेतु जमा कराया जा सकता है अथवा नहीं।

(कार्यवाहीः–नगर विकास विभाग)

12– यह पाया गया कि विभिन्न विभागों/अधीनस्थ इकाइयों द्वारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त न कर सीधे भी ऑफ–लाइन आवेदन प्राप्त कर उन पर कार्यवाही की जा रही है जिससे इस ऑन–लाइन व्यवस्था का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। अतः यह निर्देश भी जारी कर दिया जाए कि समस्त आवेदन पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किये जाएं जिससे उनका समुचित अनुश्रवण सक्षम स्तर पर किया जा सके।

(कार्यवाहीः–समस्त संबंधित विभाग)

13– यह अपेक्षा की गयी कि सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करे कि उनके राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा निर्धारित 45 दिन की समयावधि के अन्तर्गत आवेदन पत्रों का निस्तारण अधीनस्थ इकाइयों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाये अन्यथा ऐसे समस्त आवेदन जिनमें शासकीय भूमि/भवन अन्तर्निहित नहीं है उनके डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था को लागू किया जाए।

(कार्यवाहीः–समस्त संबंधित विभाग)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1
संख्याः 320/78–1–2022–45आईटी/2016
लखनऊ दिनांक 22 मार्च, 2022

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई/राजस्व/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास / आवास एवं शहरी नियोजन/पंचायती राज/वन/नगर विकास/ लोक निर्माण विभाग/ उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश शासन
2 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/गृह विभाग/अग्निशमन विभाग/न्याय/प्रदूषण नियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ।
7 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव।

राइट ऑफ वे पॉलिसी के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों के निस्तारण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2022 को पूर्वान्ह 10:30 बजे से लोक भवन स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक में उपस्थित अधिकारीगणः—

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0/ ई–मेल आईडी	हस्ताक्षर
1	मनोज	ACS, RD&PR	RD&PR		[signature]
2	दीपक कुमार	प्र.स., आवास			[signature]
3	अनिल गर्ग	PS. Irrigation	Irrigation		[signature]
4	अजय चौहान	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन			[signature]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[signature]
6	[illegible]	निदेशक नगर निकाय [illegible]	नगर विकास		[signature]
7	कुमार [illegible]	विशेष सचिव	IT & E		[signature]
8	डॉ. [illegible]	विशेष सचिव [illegible]			[signature]
9	I.S. SINGH	CE, LDA.	LDA.		[signature]
10	A.K Rai	CEO/O.D Zila Panchayat Panchayatiraj	Panchayatiraj		[signature]
11	S.K. Srivastava	CE (HQ-1) PWD	PWD		[signature]
12	सहदेव मिश्र	OSD	BoR	borlko@gmail.	[signature]

	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0/ ई–मेल आईडी	हस्ताक्षर
13	Radhey Shyam Mishra	Special Secretary	Revenue	—	
14	मोहनलाल वर्मा	आयुक्त	राजस्व परिषद		
15	गिरीजेश कुमार त्यागी	विशेष सचिव	लो०नि०वि०		
16	राकेश कुमार शुक्ल	विशेष सचिव	न्याय	9451678167	
17	बी०के० निरंजन	EinC/HOD	Rural		
18	अनूप श्रीवास्तव	CTCP	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	963406845	
19	अनुपम गुप्ता	APCCF, Nodal officer	Forest	9456246594	
20	आर० पी० राम	अनुभाग अधिकारी राजस्व विभाग	राजस्व विभाग	9454413883	
21	Dr. Sunil Kr. Yadav Dy. Director	Dy. Dir.	Urban Local Bodies	9453014733	
22	Mahesh Verma C.E.	C.E.	LMC	8979880444	
23	M.K. SINGH C.E.	C.E.	U.L.B.	9415210424	
24					
25					